**Enactment of Common Civil Code on Directive Principles in Constitution**

1924 SHRI M. ARUNACHALAM: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state whether Government has any proposal to enact a Common Civil Code thereby giving effect to the provision embodied in the Directive Principles of the State Policy of the Indian Constitution?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NARSINGH YADAV): Government has no such proposal under consideration now

**बरौनी तेल शोधक कारखाने कर्मचारियों द्वारा हड़ताल**

1925. श्री युवराज :
श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :
श्री सुरेन्द्र विक्रम :

क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने के कर्मचारियों ने सितम्बर 1977 में हड़ताल की थी, यदि हां, तो हड़ताली कर्मचारियों की किन मांगों को स्वीकार कर लिया गया है,

(ख) क्या प्रबंधकों ने मकान का आवंटन अभी तक नियमित नहीं किया है, जुर्माने के रूप में लिया गया किराया वापिस करके सामान्य किराया लेने और 34 कर्मचारियों को चार वेतन वृद्धि का आदेश दिया है, और

(ग) यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों की मांगें कब तक पूरी की जाएंगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) श्रमिक विकास परिषद् के कामगारों ने, जो कि एक गैर मान्यता प्राप्त परन्तु बरौनी तेल शोधक कारखाने का एक पंजीकृत संघ है, 27-9-1977 प्रातः 6-00 बजे से काम बंद कर दिया। उक्त संघ ने जो मांगें रखीं, वे अर्जित अवकाश पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना, रिक्त पदों को भरना, पदोन्नति के लिए प्रेरणा प्रदान करना, पेयजल की सुविधायें जुटाना, हव, रोशनी तथा अन्य कल्याणकारी उपाय करना, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना, और बिजली के मीटरों को हटाने से सम्बन्धित थीं। इन मांगों का स्वरूप बिल्कुल वही था जो मान्यता प्राप्त बरौनी तेल शोधक मजदूर संघ द्वारा पहले रखी गई थीं, जिन्हें बिहार सरकार के श्रम विभाग द्वारा 17-9-1977 को बुलाई गई एक समझौता बैठक में निपटा दिया गया था। गैर मान्यता प्राप्त संघ की मुख्य कठिनाई यह थी कि उनकी कुछ मांगों के सम्बन्ध में दिए गए आश्वासनों को मान्यता प्राप्त संघ के साथ किए गए समझौते में पूरा नहीं किया गया था। राज्य सरकार को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया था और उनसे सहायता देने के लिए अनुरोध भी किया गया था। संघ से विचार विमर्श किया गया था और इस हड़ताल को 30-9-1977 को सायं 4 30 बजे समाप्त कर दिया गया।

(ख) और (ग). वर्ष 1970 और 1974 के दौरान क्वार्टरों के अनधिकृत रूप से कब्जे के 57 मामले थे, जिनमें से 20 व्यक्तियों ने विभागीय कार्रवाई से पूर्व क्वार्टरों को खाली कर दिया और उनसे क्वार्टर खाली होने के तारीख तक स्टैंडर्ड किराया वसूल किया गया। बाकी 37 कर्मचारियों में से 20 कर्म-